



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 303]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 2, 1976/आशुद्ध 11, 1898

No. 303]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 2, 1976/ASADHA 11, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(Archaeological Survey of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July 1976

S.O. 448(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (52 of 1972), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Archaeological Survey of India) No. G.S.R. 280(E) dated the 5th April, 1976, the Central Government hereby specifies the antiquities mentioned in the Schedule annexed hereto as the antiquities which shall be registered under the said Act:

Provided that notwithstanding the supersession of the notification aforesaid—

- all antiquities specified in the Schedule annexed to the said notification and registered under the said Act before the date of publication of this notification shall be deemed to be validly registered under the said Act;
- all applications for the registration of the antiquities specified in the Schedule annexed to the said notification shall be deemed to have been validly made and shall be dealt with as if the said notification had not been superseded.

THE SCHEDULE

The following antiquities which have been in existence for not less than one hundred years, namely:—

- sculptures in stone, terracotta, metals, ivory and bone;

- (ii) paintings (including miniatures and tankas) in all media, that is to say, paper, wood, cloth, skin, silk and the like;
- (iii) manuscripts, where such manuscripts contain paintings, illustrations or illuminations (that is, adornment with coloured lettering or illustrations).

[No. 1/30/75-Ant.]

M. N. DESHPANDE.

Director General and *ex-officio* Jt. Secy.

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1976

का० झा० 448 (अ).—पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 (1972 का 52) धारा 14 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 281 (अ), तारीख 5 अप्रैल, 1976 को अधिकांत करते हुए केन्द्रीय सरकार उससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित पुरावशेषों को ऐसे पुरावशेषों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत होंगे।

परन्तु उपर्युक्त अधिसूचना के अधिकांत किये जाने पर भी—

(क) इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्व उक्त अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत और उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी पुरावशेष उक्त अधिनियम के अन्तर्गत विधिमान्यतः रजिस्ट्रीकृत माने जायेंगे।

(ख) उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुरावशेषों के रजिस्ट्रीकरण के लिए किए गए सभी आश्रित विधिमान्यतः किये गये माने जायेंगे और उनको वैसा ही समझा जायेगा मानो उक्त अधिसूचना अधिकांत नहीं की गयी थी।

अनुसूची

निम्नलिखित पुरावशेष, जिनका अस्तित्व एक सौ वर्षों से कम न हो अर्थात् :—

- (i) पत्थर, मण्मयी, धातु, हाथीदांत और हड्डी की बनी हुई मूर्तियां।
- (ii) सभी माध्यम अर्थात् कागज, लकड़ी, कपड़ा, चमड़ा, रेशम और ऐसे ही अन्य प्रकार के चित्र (जिनमें लघु चित्र और टंका भी शामिल हैं)।
- (iii) पाण्डुलिपियां, जिनमें रंगीन चित्र, चित्रावलियां या चित्रों की सजावट (अर्थात् रंगीन अक्षरों की लिखावट या चित्रावलियां) हों।

[सं० 1/30/75-पुरा]

एम० एन० देशपांडे,

महानिदेशक पदेन संयुक्त सचिव।